boardofrevenue-uk@gov.in
Fax n. 0135- 2669384

उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 तथा तत्संबंधी प्रस्तावित नियमावली के पुनरावलोकन हेतु मा0 कृषि मंत्री उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की सम्पन्न बैठक दिनांक 28.08.2017 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः— संलग्न के अनुसार।

मा0 कृषि मंत्री उत्तराखण्ड सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 एवं इससे सम्बन्धित प्रस्तावित नियमावली के प्राविधानों के संबंध में श्री संजय आर्य, चकबंदी अधिकारी, चकबंदी इकाई, उधमसिंहनगर एवं श्री अनिल कुमार, चकबंदी अधिकारी, चकबंदी इकाई, हरिद्वार द्वारा विस्तृत प्रस्तुति की गई।

व्यापक विचार—विमर्श उपरांत निम्नवत् निर्णय लिये गयेः—

1— पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की संकल्पना को जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की बैठकों में विस्तार से समझाया जाए तथा चकबंदी के लाभ/उपयोगिता के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए लघु फिल्म (डाक्यूमेण्टरी) बनाकर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए।

2— जन जागरूकता हेतु विभिन्न सोशल मिडिया का भी उपयोग किया जाए। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि कार्यों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत उनको विशेष रूप से जागरूक करने की आवश्यकता है।

3— समस्त जिलाधिकारी (हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर को छोड़कर) को निर्देशित किया जाए कि वह जनपद के ऐसे ग्रामों के चिन्हीकरण की कार्यवाही करे, जहाँ के लोग चकबंदी कराने हेतु तैयार हो।

4— चकबंदी प्रक्रिया में सर्वेक्षण का कार्य सर्वे की आधुनिक तकनीक से कराया जाए तथा इस हेतु कार्मिकों को आधुनिक तकनीकी का प्रशिक्षण दिया जाए।

5— जिन पर्वतीय क्षेत्र के राजस्व ग्राम के कुल काश्तकारों में से 50 प्रतिशत या उससे अधिक काश्तकार चकबंदी कराने हेतु सहमत हो, तो ऐसे राजस्व ग्राम में अनिवार्य चकबंदी करायी जाए।

6— जहाँ पर काश्तकार स्वेच्छा से चकबंदी कराने हेतु इच्छुक है, ऐसे ग्रामों में स्वैच्छिक/आंशिक चकबंदी योजना प्रारम्भ की जाये।

7— आंशिक/स्वैच्छिक चकबंदी हेतु 10 खातेदार/काश्तकार की सहमति आवश्यक हो।

8— आंशिक/स्वैच्छिक चकबंदी वाले राजस्व ग्राम की चकबंदी समिति में संबधित खातेदारों/काश्तकारों को ही सदस्य बनाया जाए।

boardofrevenue-uk@gov.in
Fax n. 0135- 2669384

9– SC/ST Forest Dweller Act. 2007 के प्राविधानों को भी पर्वतीय चकबंदी प्रकिया के समय संज्ञान में लिया जाए।

10– जिन पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी की जाए, वहाँ के चकबंदी के अभिलेखों का डिजिटाइजेशन भी किया जाए।

11– चकबंदी योजनाओं में कटौतियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि को सुरक्षित रखा जाय।

12– ग्राम झिझोणी, तहसील रानीखेत, जिला अल्मोड़ा के संबंध में तैयार चकबंदी योजना का परीक्षण बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, उधमसिंहनगर कर लें तथा यदि चकबंदी योजना नियमान्तर्गत अनुकूल है, तो तत्सम्बन्ध में नियमसंगत कार्यवाही की जाए।

13– पर्वतीय क्षेत्रों में चकबंदी योजना को सफल बनाने हेतु काश्तकारों के खेतों के मध्य पड़ने वाले बेनाप भूमि को सम्मिलित करने के संबंध में विधिक परीक्षण कर लिया जाए।

14– मसूरी के निकट सलांग गांव में वर्ष 1973 में चकबंदी करायी गई थी। उक्त ग्राम की चकबंदी का अध्ययन कर लिया जाए तथा उसकी सफलता एवं उसके फायदों के संबंध में लोगों को अवगत कराया जाए।

15– संयुक्त खाते का कोई खातेदार अपने हिस्से की भूमि उसी खाते के अन्य खातेदार को देना चाहता है तो क्या वह ऐसा कर सकता है अथवा नहीं, इसका विधिक परीक्षण कर लिया जाए।

अंत में बैठक में उपस्थित समस्त महानुभावगण का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

(हरबंश सिंह चुग)
सचिव प्रभारी

boardofrevenue-uk@gov.in
Fax n. 0135- 2669384

उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

संख्याः– /XVIII(1)/2017-07 ()/2017

दिनांकः देहरादून, अगस्त, 2017।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– वरिष्ठ निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2– श्री केदार सिंह रावत मा0 विधायक यमुनोत्री।
3– अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन न्याय विभाग देहरादून।
4– अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग देहरादून।
5– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड देहरादून।
6– श्री गणेश सिंह गरीब समिति के सदस्य।
7– श्री कुंवर सिंह भण्डारी समिति के सदस्य।
8– समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।

(जे0पी0जोशी)
अपर सचिव

boardofrevenue-uk@gov.in
Fax n. 0135- 2669384

मा0 कृषि मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.08.2017 को अपरान्ह् 3.00 बजे आयोजित उत्तराखण्ड पर्वतीय क्षेत्रों के लिये जोत चकबंदी एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 2016 एवं इससे सम्बन्धित नियमावली के पुनरावलोकन सम्बन्धी बैठक की उपस्थितिः–

1.श्री केदार सिंह रावत मा0 विधायक यमनोत्री/समिति के सदस्य।
2.श्री हरवंश सिंह चुग, सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग देहरादून।
3.श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
4.श्री एस0ए0 मुरूगेशन, जिलाधिकारी, देहरादून।
5.श्री जे0पी0 जोशी, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग।
6.श्री महेश कौशिवा, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन, न्याय विभाग।
7.श्री कृष्ण सिंह, संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग।
8.श्री अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी, हरिद्वार।
9.श्री गणेश सिंह गरीब, समिति के सदस्य ।
10.श्री केवला नन्द तेवाड़ी, ग्राम झिझोणी, रानीखेत, जनपद अल्मोड़ा।
11श्री कुंवर सिंह भण्डारी, समिति के सदस्य।
12.श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, उधमसिंहनगर।
13.श्री डी0एस0 नेगी, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, हरिद्वार।
14श्री अनिल कुमार सुनिल, चकबंदी अधिकारी, जनपद हरिद्वार।
15.श्री के0के0 डिमरी, सहायक राजस्व आयुक्त (प्र0) राजस्व परिषद्, देहरादून।
16.श्री स्वतंत्र बहादुर सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), उधमसिंहनगर।
17.श्री विनोद कुमार डिमरी, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), देहरादून।
18.श्री विजय पाल सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व), हरिद्वार।
19.श्रीमती मीनाक्षी पटवाल उप जिलाधिकारी मसूरी, देहरादून।
20.श्री संजय आर्य, चकबंदी अधिकारी, उधमसिंहनगर।
21.श्री चन्दन सिंह रावत, उप सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग।
22..श्री एच0एन0 कुकरेती,सेवानिवृत्त अधिकारी।
23.श्रीमती कुकरेती, सेवा निवृत्त, प्रधानाचार्य।
24.श्री भगवती प्रसाद जगूड़ी सहायक भूलेख अधिकारी देहरादून।
25.श्री एन0एम0 मलासी, पी0आर0ओ0 मा0 कृषि मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।

———